

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/  
प्रार्थीनी

7256  
बनाम

दिनांक - 19/12/23

अप्रार्थीगण

1 धापुदेवी पत्नी  
मेहरसिंह जाति रावणा  
राजपूत निवासी डीगड़ा  
आटी तहसील व जिला  
बाड़मेर।


1 अचलसिंह 2 कंवरसिंह पिसरान देवा 3 जामणी पत्नी देवा 4  
सुमेरसिंह पुत्र देवा जाति राजपूत निवासी डीगड़ा, आटी 5  
पीरसिंह पुत्र चैलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मोडरडी  
तहसील गडरा रोड 6 मेहरसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति रावणा  
राजपूत निवासी मौसेरी तहसील गडरा रोड 7 भूरसिंह पुत्र  
पृथ्वीसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी रोहिड़ा पाडा रामदेव  
नगर मौहल्ला बाड़मेर 8 महावीर पुत्र मांगीलाल जाति जैन  
निवासी पादर मौहल्ला 9 जोगी पत्नी पदमाराम जाति राईका  
निवासी लंगेरा 10 झिणी पत्नी जुझाराम जाति राईका निवासी  
रबारियों की ढाणी, लंगेरा 11 पूर्णसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 12  
मेहताबसिंह 13 शंभुसिंह पिसरान उम्मेदसिंह जाति राजपूत  
निवासी डीगड़ा 14 ललित कुमार पुत्र मोहनलाल जैन निवासी  
जुना केराडु मार्ग तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 175/2023

दिनांक- 27/10/23

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या  
823/250 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी  
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि  
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा  
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो  
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 19/12/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 7257-59  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. धापुदेवी पत्नी मेहरसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी डीगड़ा आटी तहसील व जिला  
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अचलसिंह पुत्र देवा वगैराह जाति राजपूत निवासी डीगड़ा, आटी तहसील व जिला  
बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर